परिचय

भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक अर्ध-न्यायिक स्वायत्तशासी प्राधिकरण है जिसकी पुनर्स्थापना संसद के एक अधिनियम, 'प्रेस परिषद अधिनियम, 1978' के तहत वर्ष 1979 में दोहरे उद्देश्यों - भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तरों को बनाए रखकर और उनमें सुधार करके प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए की गई। पहली बार इसकी स्थापना 1966 में, प्रथम प्रेस आयोग की सिफ़ारिशों पर, भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत इन्हीं समान दो उद्देश्यों के लिए की गई थी। हालांकि, अधिनियम 1965 को 1975 में आपातकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था और प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया। तदुपरांत, अधिनियम 1965 के आधार पर एक ऐसा ही नया अधिनियम बनाया गया और इसके तहत वर्ष 1979 में प्रेस परिषद की पुनर्स्थापना की गई।

यह परिषद एक कॉर्पोरेट निकाय है जो निरंतर बना रहता है, इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष, परिपाटी के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं जिनका नामांकन एक ऐसी समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सभा का अध्यक्ष, लोक सभा के स्पीकर और परिषद के 28 सदस्यों में चुना गया एक व्यक्ति होता है। इन अठाइस (28) सदस्यों में, तेरह (13) श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से छह (6) समाचारपत्रों के संपादक होते हैं और शेष सात (7) संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। छह (6) ऐसे सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होते हैं जो समाचारपत्रों के स्वामी होते हैं या उनके प्रबंधन का कारोबार करते हैं, इनमें से दो (2) बड़े, दो (2) मध्यम और (2) छोटे समाचारपत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एक (1) सदस्य समाचार एजेंसियों के प्रबन्धकों में से होता है। इसमें पांच (5) सदस्य संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होते हैं, तीन (3) सदस्यों का नामांकन लोक सभा के स्पीकर द्वारा और दो (2) सदस्यों का नामांकन राज्य सभा के सभापति द्वारा किया जाता है, जो पाठकों की रूचि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें तीन (3) सदस्यों का नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है जो क्रमश: शिक्षा, विधि एवं साहित्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अधिनियम की धारा 13 में किए गए उल्लेखानुसार, भारतीय प्रेस परिषद का उद्देश्य भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तरों को बनाए रखकर और उनमें

सुधार करके प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। अधिनियम के तहत परिषद को सलाहकार की भूमिका भी सौंपी गई है जिसके अनुसार यह, या तो स्व प्रेरणा से या अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत सरकार द्वारा संदर्भित विषय पर किसी बिल, विधेयक, कानून या प्रेस से संबंधित अन्य मामलों का अध्ययन कर अपना मत व्यक्त करती है और सरकार या संबंधित व्यक्तियों को अपनी राय से अवगत करवाती है। परिषद के सांविधिक दायित्वों से संबंधित सार्वजनिक महत्व के मामलों पर भी, परिषद स्व-प्रेरणा से संज्ञान ले सकती है और मौके पर जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन कर सकती है।

अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित उद्देश्यों में आगे, कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो प्रेस परिषद को करने होते हैं, वे हैं - समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना, समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों द्वारा सार्वजनिक रूचि के उच्च मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करना और अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों दोनों के लिए उचित भावना जगाना, सार्वजनिक हित एवं सार्वजनिक महत्व के समाचारों के प्रचार-प्रसार तथा उनकी आपूर्ति में किसी संभावित बाधा की समीक्षा करना, समाचारपत्रों या समाचार एजेंसियों के प्रकाशन या उत्पादन से जुड़े सभी वर्गों के व्यक्तियों के बीच उचित कार्यात्मक संबंधों को बढ़ावा देना, और स्वयं को ऐसे विषयों से जोड़े रखना जैसे समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेंदीकरण या अन्य पहलू जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती हो।

इस निकाय का उद्देश्य इस सिद्धान्त में निहित है कि एक लोकतांत्रिक समाज में, प्रेस को भी स्वतंत्र और उत्तरदायी होना जरूरी है। अतः यह उच्च आदर्शों और मानकों के अनुरूप कार्य करता है। इस दिशा में आगे कार्य करते हुए, यह समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च नैतिक तथा वृत्तिक मानकों के अनुरूप आचरण संहिता तैयार करती रही है। इसका प्रयोजन न केवल प्रेस के हितप्रहरी के रूप में कार्य करना है बल्कि पत्रकारिता जगत में एक नई भावना को जगाना है। परिषद लगातार जांच करती रहती है कि प्रेस अनैतिक लेखन से दूर रहे और परिषद अपने नैतिक प्राधिकार के कारण भी पत्रकारिता जगत में नीतिशास्त्र की भावना का संचार करती है जो सदैव कानून से बढ़कर होती है।

परिषद अपने कार्यों का निर्वहन मुख्यतया परिषद को प्राप्त शिकायतों पर न्याय निर्णयों द्वारा करती है, शिकायतें या तो प्रेस के विरूद्ध पत्रकारिता नीतियों का उल्लंघन

करने पर या प्रेस द्वारा उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के बारे में होती हैं। जब परिषद जांच के बाद संतुष्ट होती है कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता नीतियों के मानकों का उल्लंघन या सार्वजनिक रूचि के विरूद्ध अपराध किया है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई वृत्तिक कदाचार किया है तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, फटकार या भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण को लेकर असहमति व्यक्त कर सकती है। परिषद को धारा (4) के तहत निर्दिष्ट प्रेस की स्वतंत्रता में सरकार सहित किसी भी प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप करने पर टिप्पणी जिसे वह उचित समझती है, करने का भी अधिकार प्राप्त है। परिषद का निर्णय अंतिम होता है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

परिषद संसद के अधिनियम के तहत गठित निकाय होने के कारण, अपनी निधियों का बड़ा भाग केंद्र सरकार से, संसद द्वारा उचित विनियोजन के बाद, सहायतार्थ अनुदान के रूप में प्राप्त करती है, हालांकि इसकी अपनी निधियां भी हैं, जो समाचारपत्रों से उनके ढांचागत ग्रेड के अनुसार शुल्क के रूप में तथा अन्य प्राप्तियों द्वारा एकत्रित की जाती हैं।